राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी.क्रिमिनल विविध जमानत आवेदन संख्या 7308/2024

सलेन्द्र सिंह उर्फ छिंदा पुत्र श्री मनजीत सिंह, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी चक 18 एसडी, पुलिस स्टेशन जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) (वर्तमान में उप जेल, सूरतगढ़ में बंद)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से संबंधित----प्रतिवादी

एस.बी.क्रिमिनल विविध द्वितीय जमानत आवेदन संख्या 7309/2024

आकाश पुत्र श्री रूपाराम, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी 01 एमएसडी (मेघवालों की ढाणी), पी.एस. जैतसर, तहसील श्री वैजयनगर, जिला

श्रीगंगानगर (राज.) (वर्तमान में केन्द्रीय जेल,श्रीगंगानगर में बंद)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री त्रिलोक जोशी

प्रतिवादियों की ओर से: श्री लक्ष्मण सोलंकी, पीपी

मानननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट योग्य

18/07/2024

1. पुलिस स्टेशन जैतसर, जिला गंगानगर में दर्ज एफआईआर संख्या 79/2023 के तहत गिरफ्तार किए गए याचिकाकर्ताओं ने जमानत पर रिहा करने के लिए धारा 439 सीआरपीसी के तहत ये आवेदन दायर किए हैं। याचिकाकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 366, 376-डी, 377, 382, 384 के तहत दंडनीय अपराधों के आरोप हैं।

2. मैं वर्तमान याचिका के निपटान के लिए प्रासंगिक तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। 21.03.2023 को लगभग 08.29 बजे, शिकायतकर्ता मिस "एस" ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि वह दो महीने

पहले छिंदा सिंह से मिली थी और गोल्डी को भी जानती थी क्योंकि वह छिंदा सिंह का दोस्त था। उस दिन सुबह करीब 11:00 बजे छिंदा सिंह ने उसे फोन किया और उसे "बुड्ढा जोहड़" नामक स्थान पर आने के लिए कहा। वह अपनी मां से बहाना बनाकर जग्गा सिंह की मोटरसाइकिल पर बुघिया मोड़ पर चली गई। वहां उसकी मुलाकात गोल्डी और छिंदा सिंह से हुई और वे उनकी मोटरसाइकिल पर बैठकर बुड्ढा जोहड़ के पास चले गए। राज नहर के पास पहुंचने पर गोल्डी वहां से चला गया। इसके बाद छिंदा सिंह ने उसकी सलवार उतारकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इसी दौरान विनोद और कुलदीप नामक दो व्यक्तियों ने घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। छिंदा सिंह उसका मोबाइल लेकर भाग गया। इसके बाद विनोद और कुलदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में दीपू नामक एक अन्य व्यक्ति ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म का वीडियो बना लिया। उन्होंने शिकायतकर्ता को वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद आकाश वहां पहुंचा और उसे बुघिया मोड़ के पास ले गया। उसने एक रेहड़ी वाले से फोन उधार लिया और अपनी मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसकी मां आई और उसे थाने ले गई। जांच के बाद याचिकाकर्ता समेत कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और ट्रायल के दौरान पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया है।

3. सबसे पहले याचिकाकर्ता के वकील श्री त्रिलोक जोशी ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि मुकदमे के दौरान पीड़िता के बयान न्यायालय में दर्ज हो चुके हैं। उसने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता के साथ उसकी पहले से जान-पहचान और दोस्ती थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह अपनी मां से झूठ बोलकर और अपनी महिला मित्र की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने का बहाना बनाकर याचिकाकर्ता के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर स्वेच्छा से गई थी। पीड़िता ने अपने बयानों में याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार का कोई

आरोप नहीं लगाया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 376/511 और 120बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। मुख्य आरोपी अन्य हैं। याचिकाकर्ता से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। अंत में उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

4. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने याचिका का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता भी पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना में एक महत्वपूर्ण घटक है। आगे यह तर्क दिया गया कि अभिलेख पर बहुत सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो प्रथम दृष्टया आवेदक के अपराध की ओर संकेत करते हैं; उसके द्वारा किए गए कथित अपराध की गंभीरता को देखते हुए, वह किसी भी तरह की नरमी का पात्र नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गहन विचार किया है और अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

6. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर गहन विचार करने और अभिलेख की जांच करने के बाद, मैं स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि याचिकाकर्ता ही घटना का सूत्रधार है। मुकदमे के दौरान दर्ज पीड़िता के साक्ष्य प्रथम दृष्टया विश्वास पैदा करते हैं। घटना के तुरंत बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता सामूहिक बलात्कार का शिकार इसलिए हुई क्योंकि याचिकाकर्ता ने उसे एकांत स्थान पर बुलाया था। पीड़िता याचिकाकर्ता के साथ स्वेच्छा से नहीं गई थी, ताकि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा सके। न ही वह सोच सकती थी कि उसके साथ कई लोग सामूहिक बलात्कार कर सकते हैं और बलात्कार के दौरान उसका वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस न्यायालय की राय में, यह तथ्य कि याचिकाकर्ता पर केवल बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाया

गया है, उसके खिलाफ मामले से कोई संबंध नहीं रखता। यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा बलात्कार का अपराध पूरी तरह से अंजाम नहीं दिया गया हो सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया, यह एक जघन्य अपराध करने की स्पष्ट मंशा दर्शाता है। इसके अलावा, विनोद और कुलदीप जैसे अन्य व्यक्तियों को देखकर याचिकाकर्ता सलेंद्र सिंह पीड़िता को अकेला छोड़कर भाग गया और पीड़िता का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया, जिसका कारण वह ही जानता है। यदि वह निर्दोष होता, तो वह मानव शरीर में छिपे उन गिद्धों से संघर्ष करके पीड़िता को बचा सकता था। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता या तो उनके साथ मिलीभगत रखता था या पीड़िता की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारियों में विफल रहा। सामूहिक बलात्कार के ऐसे मामले में, किसी भी व्यक्ति द्वारा बलात्कार के प्रयास को न्यायालयों द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

7. इस न्यायालय का मानना है कि जब किसी लड़की द्वारा उसके साथ हुए बलात्कार के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई जाती है, तो एफआईआर दर्ज करने का फैसला करने से पहले कई सवाल विचारणीय होंगे। इस तरह से शारीरिक रूप से प्रताड़ित की गई पीड़िता की दुर्दशा का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जाहिर है, अभियोक्ता भी बहुत उथल-पुथल से गुजरी होगी और इस पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया होगा।

8. इस न्यायालय को लगता है कि याचिकाकर्ता के इस कृत्य के कारण पीड़िता का जीवन बर्बाद हो गया है। यौन हिंसा एक अमानवीय कृत्य होने के अलावा एक महिला की निजता और पवित्रता के अधिकार पर एक गैरकानूनी अतिक्रमण है। यह उसके सर्वोच्च सम्मान पर एक गंभीर आघात है और उसके आत्मसम्मान और गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। सामूहिक बलात्कार एक युवा लड़की पर गहरा और विनाशकारी प्रभाव डालता है। यह पीड़िता को

अपमानित और अपमानित करता है और एक दर्दनाक अनुभव को पीछे छोड़ देता है। यह अनुभव उसके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे वह खुद को बेकार महसूस करने लगती है। कलंक उसे सामाजिक मेलजोल से दूर कर सकता है, जिससे वह अकेलापन महसूस करने लगती है। बलात्कारी न केवल शारीरिक चोट पहुंचाता है, बल्कि महिला की सबसे प्रिय स्थिति यानी उसकी गरिमा, सम्मान, प्रतिष्ठा और शुद्धता पर दाग छोड़ जाता है।

9. एक अन्य याचिकाकर्ता आकाश अपराधियों को पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय उनके घर ले जाने के लिए घटनास्थल पर आया था। आकाश सह-आरोपियों के साथ क्यों रह रहा था, यह भी पूरे प्रकरण में एक रहस्यमय सवाल है। स्थिति का फायदा उठाते हुए आकाश ने पीड़िता को यह भी धमकी दी कि अगर वह उसके बुलाने पर नहीं आई, तो वह वीडियो भी वायरल कर देगा।

10. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि ऐसे अपराधियों की रिहाई से प्रथम दृष्टया पीड़िता को खतरा हो सकता है, जिसे प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है। आवेदकों के संबंध में अभिलेख पर प्रस्तुत की गई प्रथम दृष्टया सामग्री, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को देखते हुए, मेरा विचार है कि इस मामले में आरोप की प्रकृति और गंभीरता तथा याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध स्थापित मामले को देखते हुए याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा किए जाने के हकदार नहीं हैं।

11. इन विचारों और पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर, मेरा विचार है कि आरोपी याचिकाकर्ता अपने पक्ष में जमानत के लिए मजबूत मामला बनाने में विफल रहे हैं। इसलिए जमानत आवेदन कानून के तहत पूरी तरह से गलत है, इसलिए खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार खारिज किया जाता है।

12. उपरोक्त टिप्पणियों को मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा।

(राजेन्द्र प्रकाश सोनी), जे.

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।